भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1422

(06 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा की कार्य संबंधी दक्षता की निगरानी करना

1422 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना की कार्य संबंधी दक्षता की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा संवर्धन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए इच्छुक है , को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इस योजना को नरेगा सॉफ्ट नामक एक स्वयं में संपूर्ण एकीकृत वित्तीय अंतरण आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो योजना की आयोजना, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति , जॉब कार्ड जारी करने , मांग की स्वीकृति , मस्टर रोल जारी करने , जांच, भुगतान की स्वीकृति और अंततः डीबीटी-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा कराना।

2. लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र।

3. राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं और केंद्रीय टीमों द्वारा निगरानी।

4. आंतरिक लेखा परीक्षा का करना।

5. क्षेत्रीय अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी।

6. सामान्य समीक्षा मिशन और कार्य निष्पादन समीक्षा समिति।

7. उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली का उपयोग।

8. नागरिक प्रतिक्रिया और जानकारी प्राप्त करने के लिए जनमनरेगा ऐप।

योजना के कार्यान्वयन में प्रयुक्त कुछ तकनीकी घटक इस प्रकार हैं:

1. जीआईएस आधारित योजना : अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग : देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली दृष्टिकोण) तैयार करना।

2. युक्तधारा: जीआईएस आधारित योजना उपकरण – ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए , इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू -स्थानिक योजना पोर्टल, युक्तधारा विकसित किया गया है।

3. सिक्योर: रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने हेतु अनुमान गणना के लिए सॉफ्टवेयर: इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के अनुमान की गणना करने के लिए किया जा रहा है।

4. जियो-मनरेगा: इस ऐप को परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "दौरान" और "बाद" के चरणों में जियोटैगिंग द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक करने के लिए तकनीकी के उपयोग से विकसित किया गया है। अब तक कुल 6.11 करोड़ परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है।

5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और लीकेज को न्यूनतम करने के लिए , वेतन भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, 99% से अधिक मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के खातों में जमा किया जाता है।

6. आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली : डीबीटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मजदूरी का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में किया जाता है। कुल 13.23 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 13.15 करोड़ सक्रिय श्रमिकों के खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।

7. समय और गति अध्ययन: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I, धारा 4 (3) के पैरा 17 में प्रावधान है कि राज्य सरकार बिना किसी सामान्य पूर्वाग्रह के मजदूरी को कार्य की मात्रा के साथ जोड़ेगी और इसका भुगतान विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न मौसमों के लिए समय और गति अध्ययन के बाद निर्धारित ग्रामीण दरों की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, पैरा 18 के अनुसार महिलाओं, बुजुर्गों और कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए दरों की एक अलग अनुसूची को निर्धारित किया जाएगा।